न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार आर ए.एस

2020/00834

मुकदमा नंबर 17/2020

राजहर्ष हेमेन्द्र जैन ट्रस्ट बनाम 1. सरकार तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,.86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–. 13 2.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम मेवानगर के खसरा न. 803/241, 804/241, 805/241, 806/241, 807/241, 88/241, 811/241 कुल खसरा 7 कुल रकबा 17.00 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार श्री राजहर्ष हेमेन्द्र जैन ट्रस्ट के ट्रस्टीगण रणजीत वजावत पुत्र छगनराज वजावत निवासी उदयपुर , बाबुलाल पुत्र मिश्रीमल वर्धन निवासी भीनमाल, शान्तिलाल वल्द घेवरचन्द निवासी सिवाना, लालचन्द पुत्र मुल्तानमल बालड निवासी पादरू, मोहनलाल पुत्र धर्मचन्द निवासी रड (राजस्थान) खातेदार के नाम दर्ज है।

श्री अरविन्द मदाणि वर्तमान ट्रस्टी श्री राजहर्ष हेमेन्द्र जैन ट्रस्ट ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व (ग्रुप–6)विमाग राज. जयपुर के परिपत्र कमांक –5(8) राज 76/97/6 दिनांक 09.06.2009 के द्वारा किसी कम्पनी या संस्था के नाम के साथ जरिये मैनेजर या अन्य प्रविष्टियां राजस्व रेकर्ड में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी प्रविष्टियां है तो इसे आर.एल.आल एक्स 1956 की धारा 136 के तहत हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में राजस्व रेकर्ड में दर्ज ट्रस्टीयों ने उक्त परपित्र के सन्दर्भ में नाम हटाने पर सहमति दी। प्रार्थी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ट्रस्ट के नाम के साथ दर्ज ट्रस्टीयों के नाम हटाने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पचपदरा को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार पचपदरा के जबाब पत्रांक/राजस्व/2020/117 दिनांक 21.01.2020 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई आपति न होना जाहिर किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पटवारी मेवानगर व उपतहसीलदार जसोल की रिपोर्ट, तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जबाव व राजस्व (गुप–6) विमाग द्वारा 9.06.2009 को इस सन्दर्भ में जारी परिपत्र पर मनन किया गया। किसी ट्रस्ट के नाम के साथ व्यक्तिगत ट्रस्टीयों के नाम होना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेवानगर की जमाबंदी संवत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 548 में श्री राजहर्ष हेमेन्द्र जैन ट्रस्ट के साथ दर्ज ट्रस्टीगण के नाम हटाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय मे दिनांक . 13.02.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner